राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ.6(79)परि/टैक्स/एचक्यू/95/7बी जयपुर, दिनांकः 31.3.2000

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4–ख द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की (समय–समय पर यथा संशोधित) अधिसूचना सं. एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/7 दिनांक 31.3.97 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार 1.4.2000 से इसके द्वारा इससे संलग्न सारणी के स्तम्भ सं.2 में विनिर्दिष्ट इस राज्य के, किसी फ्लीट स्वामी के स्वामित्वाधीन मंजिली गाड़ियों पर, उसके स्तम्भ सं.3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर विशेष सड़क कर की दर विहित करती है :–

–सारणी–

क्र.सं.	परिवहन यानों का वर्णन	विशेष सड़क कर की मासिक दर
1	2	3
1.	अनन्यतः नगर पालिका सीमाओं में चलने वाली से भिन्न मंजिली गाड़ियॉ	स्वामी द्वारा उस मास के दौरान, जिससे कर संबंधित है, भाड़े पर लिये गये यानों सहित, फ्लीट में मजिली गाड़ियों के रूप में प्रयुक्त या प्रयोग के लिये रखे गये यानों के संपूर्ण फ्लीट की चैसिस की लागत का 2.5 प्रतिशत

टिप्पणी :–

किसी मोटर यान का कब्जा या नियन्त्रण रखने वाले स्वामी या व्यक्ति द्वारा, इस अधिसूचना के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त , कोई भी ऐसा कर या शास्ति, जो राजस्थान वित्त अधिनियम, 1997 के अध्याय–V के उपबन्धों के अधीन जारी की गई इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने के पूर्व किसी कालावधि के लिये उक्त अधिनियम के अधीन संदेय थी, ऐसी दरों पर,, जो समय–समय पर ऐसे यानों पर लागू थी, संदत्त की जायेगी।

स्पष्टीकरण :–

(i) अस्थायी परमिट के अधीन चलने वाले यानों के मामले में विशेष सड़क कर इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/6जी, दिनांक 31 मार्च, 2000 में विनिर्दिष्ट दरों पर पृथक्तः संदेय होगा।

(ii) कर की संगणना के लिये चैसिस की लागत वह होगी जो राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 के नियम 42 के अधीन बतायी गयी है।

राज्यपाल के आदेश से,
उप शासन सचिव